*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के द्वितीय किस्त के रूप में कर्णांकित Grant की कुल राशि ₹30899.14 लाख (तीन सौ आठ करोड़ निनानवे लाख चौदह हजार रु०) का 01 प्रतिशत राशि ₹308.99140 लाख (तीन करोड़ आठ लाख निनानवे हजार एक सौ चालीस रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के नगर निकायों में आंतरिक अंकेक्षण तथा दोहरी लेखा प्रणाली के कार्य पर केन्द्रीयकृत रूप से व्यय करने की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम किस्त के रूप में कर्णांकित Grant की कुल राशि ₹30899.14 लाख (तीन सौ आठ करोड़ निनानवे लाख चौदह हजार रु०) मात्र है।

2. Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग के संबंध में पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय– 9 के टेबल– 9.12 में SPUR Type Professional Services रखने की भी अनुशंसा है। विदित हो कि पूर्व में सभी नगर निकायों के आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली का कार्य स्पर के माध्यम से कराया जा रहा था। स्पर का कार्यकाल दिनांक– 31.03.2017 को समाप्त हो चुका है। नगर निकायों में कर्मचारियों की कमी एवं उनके आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नगर निकायों में आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली का कार्य कराने हेतु विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से एजेंसियों का चयन किया जाता है। अतः चयनित एजेंसियों के माध्यम से राज्य के नगर निकायों में कराये गये एवं कराये जाने वाले आंतरिक अंकेक्षण, दोहरी लेखा प्रणाली हेतु नगर निकायों को वितरित किये जाने वाले Grant की कुल राशि में से 01 प्रतिशत राशि का केन्द्रीयकृत रूप से चयनित एजेंसियों को नियमानुसार भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रथम किस्त के रूप में कर्णांकित Grant की कुल राशि ₹30899.14 लाख (तीन सौ आठ करोड़ निनानवे लाख चौदह हजार रु०) मात्र का 01 प्रतिशत राशि ₹308.99140 लाख (तीन करोड़ आठ लाख निनानवे हजार एक सौ चालीस रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय, राज्य के नगर निकायों में कराये गये आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी

लेखा प्रणाली के कार्यों के लिए विभाग द्वारा चयनित एजेंसियों को विभागीय स्तर से भुगतान करने पर किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹308.99140 लाख (तीन करोड़ आठ लाख निनानवे हजार एक सौ चालीस रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019, पत्रांक– 687, दिनांक– 19.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) एवं पत्रांक– 1081, दिनांक– 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडा के पी०एल० खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. स्वीकृत कुल राशि ₹308.99140 लाख (तीन करोड़ आठ लाख निनानवे हजार एक सौ चालीस रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–48 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय–व्ययक के मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास–80–सामान्य–191–नगर निगम को सहायता–0013–राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान–विपत्र कोड– **48-2217801910013** विषय शीर्ष–0013.31.04 से ₹154.49570 लाख (एक करोड़ चौवन लाख उनचास हजार पाँच सौ सत्तर रु०) एवं विषय शीर्ष–0013.31.05 से ₹154.49570 लाख (एक करोड़ चौवन लाख उनचास हजार पाँच सौ सत्तर रु०) की निकासी की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

9. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक– 19.07.2019 की बैठक के मद संख्या– 04 के रूप में प्राप्त है।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 के पृष्ठ सं०–247/टि० पर दिनांक–05/03/2020 को प्राप्त है एवं वित्त विभाग का अनुमोदन पृष्ठ सं०–258/टि० पर दिनांक– 27.12.2019 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 243 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक–12/03/2020

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा, पटना/विभागीय लेखा शाखा को 02 प्रतियों में/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई टी मैनेजर को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने एवं सभी नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।